GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, dated 29-04-2009**

The General Managers/ FA & CAOs.,
All Indian Railways & Production Units.
(As per Mailing List).

Sub: Implementation of Government's decision on the recommendations of the VIth CPC – revision of the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules,1993 – Constant Attendant Allowance.

****

On acceptance of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission contained in para 5.1.44 of its Report, orders were issued vide para 10.1 of this office letter No. F(E)III/2008/PN1/13 dated 15.9.2008 that:

"In the case of pensioners who retired on disability pension under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 for 100% disability (where the individual is completely dependent on somebody else for day to day functions) a Constant Attendant Allowance of Rs. 3000/- p.m. shall be allowed in addition to the disability pension, on the lines existing in Defence Forces."

2. The modalities governing grant of this allowance have been under consideration in consultation with the Department of Pension & Pensioners' Welfare and the Ministry of Finance (Department of Expenditure) and it has been decided that the payment of Constant Attendant Allowance shall be governed by the provisions as under:-

(i) Constant Attendant Allowance will be applicable to cases where the disability for which Constant Attendant Allowance is payable is attributable to or aggravated by service.

(ii) Constant Attendant allowance may be granted to a Railway servant who is awarded a disability pension for 100 percent disablement, if in the opinion of the medical board, he needs the services of a constant attendant for at least a period of three months, and the necessity arises solely from the condition of the accepted disability or disabilities

(iii) Constant Attendant Allowance shall not be payable for any period during which the pensioner is an inmate or an in-patient of a Government institution or hospital.

(iv) Payment of Constant Attendant Allowance shall be made along with disability pension. Payment shall be made on the basis of declaration as in Annexure which shall be submitted to the Pension Disbursing Authority in May & November each year.

3. Formal amendment to the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, will be issued separately.

4. Please acknowledge receipt.

(SUNIL BHARDWAJ)
Deputy Director Finance (Establishment)III,
Railway Board.

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, Dated: 29.04.2009.**

Annexure to letter No. F(E)III/2008/PN1/6
Dated 29-4-2009.

Declaration for drawal of Constant Attendant Allowance by a Railway Pensioner along with disability pension.

1 PPO No.

2 Name of the Railway Pensioner

3 (a) Post
(b) Grade
(c) Rank last held

4 Name of the Deptt./Office from which he/she retired.

5 Scale of pay/Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

6. Pay last drawn

7 Date of Birth

8 Rate of Constant Attendant Allowance

9 Particulars of any period spent as an inmate or an in-patient of a Railway/Government Hospital or institution since the allowance was last drawn:-

(a) Date of admission to the hospital/institution
(b) Date of discharge from the hospital/institution

10 I hereby declare that I am the pensioner described above, that the particulars given on this form are true and that during the period from....................to.................. for which I now claim Constant Attendant Allowance:-

(a) I was not an inmate or an in-patient of a Railway/Government hospital/institution;
(b) I actually employed Shri........................,son of Shri .... as a paid attendant to look after me, such attendance having been necessitated by the disability/disabilities for which I am drawing the disability pension; and
(c) Shri................................. is not related to me in any way.

Place
Date

(Pensioner's signature)
Full Address

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

Place
Date

(Signature of a responsible officer or well known person)
Full Name & Designation

पीसी -VI- 102
आरबीई सं. 72 /2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)III/2009/पीएन1/6 नई दिल्ली, दिनांक: 21.04.2009

महाप्रबंधक/वित्त एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1993 का संशोधन - सतत परिचर भत्ता।

******

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.1.44 में निहित सिफारिशों की स्वीकृति पर, इस कार्यालय के दिनांक 15.09.2008 के पत्र सं. एफ(ई)III/2008/पीएन1/13 के पैरा 10.1 के तहत आदेश जारी किए गए थे कि:

" ऐसे पेंशनभोगियों, जो 100 प्रतिशत अशक्तता (जहां व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए पूर्णतः किसी अन्य पर निर्भर रहता है) के लिए रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1993 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गए, के मामले में, रक्षा बलों में विद्यमान परम्परा के अनुरूप अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त 3000/- रुपए प्रतिमाह का एक सतत परिचर भत्ता दिया जाएगा।"

2. इस भत्ते को प्रदान करने को शासित करने वाले तौर-तरीके पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से विचाराधीन रहे हैं और यह विनिश्चय किया गया है कि सतत परिचर भत्ता का भुगतान नीचे दिए गए प्रावधानों द्वारा शासित होगा:-

(i) सतत परिचर भत्ता ऐसे मामलों में लागू होगा जहां अशक्तता, जिसके लिए सतत परिचर भत्ता देय है, को सेवा के फलस्वरूप ऐसा होना या उसे और अधिक गम्भीर माना जा सकता हो।

(ii) सतत परिचर भत्ता ऐसे रेल सेवक को दिया जाए जिसे 100 प्रतिशत असमर्थता के लिए अशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है, चिकित्सा बोर्ड की राय में यदि उसे कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए एक सतत परिचर की सेवाओं की आवश्यकता हो तथा उसे स्वीकार्य अशक्तता या अशक्तताओं की स्थिति से एकमात्र आवश्यकता होती हो।

(iii) सतत परिचर भत्ता उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस दौरान पेंशनभागी किसी सरकारी संस्था या अस्पताल का इन्मेट या अंतरंग रोगी रहा हो।

(iv) सतत परिचर भत्ता का भुगतान अशक्तता पेंशन सहित किया जाएगा। भुगतान, अनुबंध में उस घोषणा के आधार पर किया जाएगा जो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रतिवर्ष मई और नवम्बर में प्रस्तुत की जाएगी।

3. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1993 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जाएंगे।

4. कृपया पावती दें।

(सुनील भारद्वाज)
उप निदेशक वित्त (स्थापना)III,
रेलवे बोर्ड

रेलवे पेंशनर द्वारा अपनी अशक्तता पेंशन के साथ सतत परिचर भत्ता लेने हेतु घोषणा

1. पी पी ओ नं.
2. रेलवे पेंशनर का नाम
3. (क) पद
   (ख) ग्रेड
   (ग) अंतिम धारित रैंक
4. विभाग/कार्यालय का नाम जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ/हुई
5. सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान/पे बैंड और ग्रेड पे
6. अंतिम आहरित वेतन
7. जन्म तिथि
8. सतत परिचर भत्ता की दर
9. अंतिम आहरित भत्ता लेने के बाद किसी रेलवे/सरकारी अस्पताल या संस्था के इन्मेट या अंतरंग रोगी के रूप में बिताई गई अवधि का ब्यौरा

   (क) अस्पताल/संस्था में भर्ती होने की तारीख
   (ख) अस्पताल/संस्था से छुट्टी की तारीख

10. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त वर्णित पेंशनर हूँ और इस प्रपत्र में दिए गए विवरण सही हैं तथा ....से.................तक की अवधि के लिए मैं अब सतत परिचर भत्ता का दावा करता हूँ/करती हूँ.
    (क) मैं किसी रेलवे /सरकारी अस्पताल/संस्था का इन्मेट या अंतरंग रोगी नहीं था.
    (ख) मैंने वास्तव में अपनी देखभाल के लिए एक प्रदत्त परिचर के रूप में श्री................, पुत्र श्री............................को नियोजित किया है क्योंकि अशक्तता/ अशक्तताओं , जिसके लिए मैं अशक्तता पेंशन ले रहा/रही हूँ, के लिए ऐसी सेवा जरूरी है.
    (ग) श्री...................का किसी भी तरह से मुझसे संबंध नहीं है.

स्थान:
तारीख:

(पेंशनर के हस्ताक्षर)
पूरा पता:

जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सही है.

स्थान:
तारीख:

(एक जिम्मेदार अधिकारी या सुपरिचित व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पूरा नाम और पदनाम